




पत्रांक- यू0पी0ई0आर0सी0 / सचिव / 2020-2317

दिनांक -23 मार्च, 2020

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 के कार्यालय आदेश संख्या-679/पॉच-5-2020 दिनांक 22 मार्च, 2020 के अनुक्रम में कोविड-19 के संक्रमण को सीमित रखने की दृष्टि से एतद्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दिनांक 23 मार्च 2020 से दिनांक 25 मार्च 2020 तक बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है। आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगणों एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस अवधि में वे मुख्यालय अर्थात् लखनऊ में ही उपस्थित रहें, जिससे किसी अनिवार्य स्थिति में कार्य को सम्पादित किया जा सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी मोबाईल, ई-मेल एवं यथा उपलब्ध स्काइप पर उपस्थित रहें, जिससे आवश्यकता पडने पर सम्पर्क किया जा सके तथा कार्य को सम्पादित किया जा सके। माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगणों से भी उक्त माध्यमों पर उपलब्ध रहने का अनुरोध किया जाता है।

आज्ञा से


सचिव

प्रतिलिपि:

- 1 नोटिस बोर्ड
- 2 वेबसाइट